



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219233
CG-DL-E-29042020-219233

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]
No. 211]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2020/वैशाख 9, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2020/VAISAKHA 9, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 270(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 17 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकी आंकड़ा) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकी आंकड़ा) संशोधन नियम, 2020 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकी आंकड़ा) नियम, 2018 में-
(क) नियम 3 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और-
(i) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) में से “इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची” शब्दों के स्थान पर “अनुसूची-1” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उपनियम (1) में अतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित उच्च न्यायालय, अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में निम्नलिखित आंकड़े अनुरक्षित करेगी, अर्थात्:-

- (i) मास के दौरान ई-फाइल किए गए मामलों की सूची ;
 - (ii) ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान न्यायालय फीस का ई-संदाय किया गया था ;
 - (iii) ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान इलैक्ट्रानिक तामील की प्रक्रिया की गई है ;
 - (iv) मास के दौरान अनियमित रूप से आबंटित कुल मामलों की सूची ;
 - (v) ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान मामला प्रबंध सुनवाई की गई थी ;
 - (vi) मास के दौरान निपटाए गए सविरोध वाणिज्यिक मामलों ; और
 - (vii) मास के दौरान वाणिज्यिक मामलों का संक्षिप्त विवरण” ;
- (ख) निम्नलिखित शब्दों कोष्ठकों और अंक के स्थान पर

“अनुसूची

सांख्यिकी आंकड़े के लिए रूप विधान

(नियम 3 देखें),

निम्नलिखित शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“अनुसूची-I

[नियम 3 (1) देखें],

(ग) इस प्रकार संशोधित अनुसूची-I और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“अनुसूची-II

[नियम 3 (2) देखें]

प्ररूप 1									
मास के दौरान ई-फाइल किए गए मामलों की सूची									
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मामला सं.	याची का नाम बनाम प्रत्यर्थी का नाम	अधिवक्ता	अधिवक्ता का मोबाईल सं.	अधिवक्ता का ई-मेल आई डी	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	ई-फाइल करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									

प्ररूप 2							
ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान न्यायालय फीस का ई-संदाय किया गया था							
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मामला सं.	याची का नाम बनाम प्रत्यर्थी का नाम	अधिवक्ता	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	न्यायालय फीस के ई-भुगतान की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							

प्ररूप 3 ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान ईलेक्ट्रानिक तामील की प्रक्रिया की गई है							
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मामला सं.	याची का नाम बनाम प्रत्यर्थी का नाम	अधिवक्ता	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	इलेक्ट्रानिक सेवा की प्रक्रिया की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							

प्ररूप 4 मास के दौरान अनियमित रूप से आबंटित कुल मामलों की सूची						
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	न्यायालय का नाम	न्यायालय की संख्या	मामला का प्रकार	मामला गणनांक (आकस्मिक आबंटित मामलों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

प्ररूप 5 ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान मामला प्रबंध सुनवाई की गई थी							
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मामला सं.	याची का नाम बनाम प्रत्यर्थी का नाम	अधिवक्ता	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	मामला प्रबंध सुनवाई की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							

प्ररूप 6 मास के दौरान निपटाए गए सविरोध वाणिज्यिक मामले													
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मामला सं.	याची का नाम बनाम प्रत्यर्थी का नाम	अधिवक्ता	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	क्या तत्काल अनुलोप की ईप्सा की गई थी और पूर्व सांस्थानिक मध्यकता नहीं हुई थी (हां/नहीं)	विनिश्चय की तारीख	निपटान के दिन	निपटान की प्रकृति (सविरोध/ तय किया हुआ).	डिक्री के निष्पादन की तारीख	विनिश्चय की तारीख से डिक्री के निष्पादन के लिए दिनों की संख्या	अधिनियम अनुभाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													

प्ररूप 7 मास के दौरान वाणिज्यिक मामलों का संक्षिप्त विवरण						
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मास के पहले दिन लंबित मामलों की कुल संख्या	मास के दौरान संस्थानिक मामलों की कुल संख्या	मास के दौरान निपटान मामलों की कुल संख्या	मास के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

[फा.सं. ए-6011(06)20/2016-प्रशा.- III (एल ए)]

डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

[illegible]

Form 2							
List of cases in which e-Payment of Court fees was made during the month							
Sr. No.	Court	District	Case No.	Petitioner Name Vs Respondent Name	Advocate	Date of Registration	Date of e-payment of Court Fees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							

Form 3							
List of cases in which Electronic Service of Process has taken place during the month							
Sr. No.	Court	District	Case No.	Petitioner Name Vs. Respondent Name	Advocate	Date of Registration	Date of Electronic Service of Process
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							

Form 4						
List of total no. of cases randomly allocated during the month						
Sr. No.	Court	District	Court Name	Court No.	Case Type	Case Count (No. of cases randomly allocated)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

Form 5							
List of cases in which Case Management Hearing was held during the month							
Sr. No.	Court	District	Case No.	Petitioner Name Vs. Respondent Name	Advocate	Date of Registration	Date of case Management Hearing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							

[illegible]

Form 7						
Summary of Commercial Cases during the month						
Sr. No.	Court	District	Total number of cases pending on the 1 st day of the month	Total number of cases instituted during the month	Total number of cases disposed during the month	Total number of cases pending at the end of the month
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

[F. No. A-60011(06)/20/2016-Admn.-III(LA)]

Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. and Legal Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 271(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 12क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व सांस्थानिक मध्यकता और समझौता) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व सांस्थानिक मध्यकता और समझौता) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व सांस्थानिक मध्यकता और समझौता) नियम, 2018 में

(क) नियम 10 के उपनियम (2) में “त्रैमासिक आधार पर अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप-6 के अनुसार” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट, प्ररूप 6(i) के अनुसार मासिक आधार पर और प्ररूप 6 (ii) के अनुसार त्रैमासिक आधार पर” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे,

(ख) अनुसूची-1 में प्ररूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“ प्ररूप 6 (i) मासिक आधार पर मध्यकता डाटा

[नियम 10 (2) देखें]

मास के दौरान संस्थित करने पूर्व मध्यकता और परिनिर्धारण के लिए प्राप्त मामलों की संख्या						
क्र.सं.	मध्यकता केन्द्र का नाम [उदाहरण के लिए, डी एल एस ए या मुक्त मध्यकता केन्द्र मुम्बई]	महीने 1तारीख को लंबित आवेदनों की कुल संख्या	मास के दौरान प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	मास के दौरान परिनिर्धारित मामलों की कुल संख्या	मास के दौरान गैर प्रारम्भक मामलों की कुल संख्या	मास के अंत में लंबित आवेदनों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

**“ प्ररूप 6 (ii) तिमाही आधार पर मध्यकता डाटा
[नियम 10 (2) देखें]**

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन की संख्या	आवेदक पक्षकार की प्रकृति		विपक्षी पक्षकार की प्रकृति		अनुसूची -2 के अनुसार स्तरवार आवेदनों की संख्या					नियम 3 (4) और 3 (6) के अनुसार निपटाए गए आवेदन की संख्या	मध्यकता के लिए निर्दिष्ट आवेदन की संख्या	आवेदन की संख्या जहां परिनिर्धारित नियम 7(1) (ix) के अनुसार किया गया है	आवेदन की संख्या जहां पक्षकार नियम 7(1) (vii) के अनुसार समझौते पर पहुंचे
			वैयक्तिक	कारपोरेट	वैयक्तिक	कारपोरेट	I	II	III	IV	v				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(9)	(10)	(11)	(12)
1															
2															

[फा. सं. ए- 60011(06)/20/2016 – प्रशा.-III (एल ए)]

डा. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2020

G.S.R. 271(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 21A read with sub-section (1) of section 12A of the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018, -

(a) In rule 10, in sub-rule (2), - for the words and figures “on quarterly basis, on its website as per Form-6 specified in the Schedule-I”, the words, brackets and figures “on its website on monthly basis as per Form 6 (i) and on quarterly basis as in Form 6 (ii), specified in Schedule-I” shall be substituted,

(b) In Schedule-I, for Form 6, the following forms shall be substituted, namely:-

“Form 6 (i): Mediation Data on Monthly Basis

[See rule 10 (2)]

List of cases received for Pre-Institution Mediation and Settlement during the month						
Sr. No.	Name of Mediation Centre [For example, DLSA or Main Mediation Centre Mumbai]	Total number of applications pending on the 1 st day of the month	Total number of applications received during the month	Total number of cases settled during the month	Total number of non-starter cases during the month	Total number of applications pending at the end of the month
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

Form 6 (ii): Mediation Data on Quarterly Basis
[See rule 10 (2)]

S. No	Name of the Authority	No. of application received by Authority	Nature of Applicant Party		Nature of Opposite Party		No. of applications slab-wise as per Schedule-II					No. of application disposed off as per Rule 3(4) and 3(6)	No. of application referred for mediation	No. of application where no settlement arrived at as per Rule 7(1)(ix)	No. of application where parties reached a settlement as per Rule 7(1)(vii)
			Individual	Corporate	Individual	Corporate	I	II	III	IV	V				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(9)	(10)	(11)	(12)

.”

[F. No.A-60011(06)/20/2016-Admin.-III(LA)]

Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. and Legal Adviser